राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जोधपुर

अपील संख्या :– 215/2025

जगदीश पूनीया —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए जरिये, सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर।
4. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बीकानेर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.01.2025
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री धीरेन्द्र पाण्डे अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवकता का कथन है की अपीलार्थी वर्तमान मे अध्यापक ग्रेड–।।। के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, भाटो का बास, गिरीराजसर तहसील कोलायत जिला बीकानेर में कार्यरत है। अपीलार्थी ने जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक, बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.03.2022 (अनुलग्नक–2) की पालना में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, भाटो का बास, गिरीराजसर, कोलायत, बीकानेर में दिनांक 30.03.2022 को कार्यभार ग्रहण कर लिया था। कार्यभार ग्रहण करने बाद से अपीलार्थी मधुमेय रोगी होने के कारण दीर्घकालिक, डायोसिस के साथ उच्च स्तर पर पहुंच गया। जिसके कारण अपीलार्थी में अपने कत्तव्यों का नियमित रूप से पालना करने में समर्थ रहा, जिसके कारण अपीलार्थी ने विभाग में 15 वर्ष की

अर्हक सेवा पूर्ण करने के बाद राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन)– 50 एवं 51 के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृति का आवेदन अपने विभाग को दिनांक 12.09.2022 (अनुलग्नक–4) प्रस्तुत किया। नियम 50 के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृति प्रार्थना पत्र में विनिर्ष्टित अवधि की समाप्ति से पूर्व विभाग सेवानिवृति देने से इन्कार नहीं करता है तो सेवानिवृति उक्त अवधि की समाप्ति की दिनांक से स्वतः प्रभावी हो जायेगी। राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन)– 50 एवं 51 के इस वैधानिक प्रावधान के दृष्टिगत अपीलार्थी को 3 महिने की अवधि पूर्ण होने के बाद सेवा से सेवानिवृत माना जाकर सेवानिवृत लाभों के साथ–साथ पेंशन संबंधी का अधिकारी भी माना जायेगा। उक्त प्रार्थना पत्र पर विभाग द्वारा नियमानुसार 3 माह की अवधि में कोई कार्यवाही नहीं की गई ना ही अपीलार्थी को प्रार्थना पत्र अस्वीकार की कोई सूचना नहीं दी गई। अतः इस आधार पर नियम–50 के आधार पर स्वैच्छिक सेवानिवृति के आवेदन पत्र की दिनांक 12.09.2022 से 3 माह की अवधि अर्थात दिनांक 11.12.2022 से अपीलार्थी को सेवा से सेवानिवृत मानते हुए सेवानिवृति एवं पेंशन से संबंधित समस्त पारिणामिक अनुलाभ प्रदान किये जावे।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपील का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय, भाटो का बास, गिरीराजसर में दिनांक 30.03.2022 को कार्यग्रहण कर लिया गया था। तत्पश्चात् अपीलार्थी चिकित्सा अवकाश पर ही रहता था एवं दिनांक 27.06.2023 से अपीलार्थी बिना सूचना के अनुपस्थित चल रहा था। जिसके आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध सी.सी.ए. नियम 16 के तहत विभागीय जांच की कार्यवाही प्रारम्भ की गई तथा अपीलार्थी को दिनांक 27.05.2024 को आरोप–पत्र जारी कर दिनांक 30.01.2025 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान कर सुना गया। सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने स्वयं के अस्वस्थ होने के कारण राज्य सेवा करने में असमर्थतता व्यक्त करते हुए अनुपस्थित रहना बताया। अतः अपीलार्थी के स्वैच्छिक अनुपस्थिति दिनांक 27.06.2023 से विभाग द्वारा अनिवार्य सेवानिवृति प्रदान की गई (अनुलग्नक–आर/1)। अपील के द्वारा चाहा गया अनुतोष अपीलार्थी को प्रदान कर राहत दी जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

4. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई और पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया गया।

5. प्रकरण के तथ्यों एवं अभिलेखों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा निरंतर अस्वस्थ रहने के कारण दिनांक 12.09.2022 को स्वैच्छिक सेवानिवृति का आवेदन विभाग को प्रस्तुत कर दिया गया था। यदि आवेदन में कुछ कमीपूर्ति की जानी थी तो विभाग को

समय पर उसकी सूचना अपीलार्थी को दी जाकर प्रार्थना–पत्र पर आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए थी किंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निर्धारित समय तीन माह की अवधि के भीतर इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही आवेदन पत्र में किसी कमी के लिए अपीलार्थी को सूचित किया गया। अपीलार्थी द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय, भाटो का बास, गिरीराजसर में दिनांक 30.03.2022 को कार्यग्रहण कर लिया गया था। तत्पश्चात् अपीलार्थी चिकित्सा अवकाश पर ही रहता था एवं दिनांक 27.06.2023 से अपीलार्थी बिना सूचना के अनुपस्थित चल रहा था। जिसके आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध सी.सी.ए. नियम 16 के तहत विभागीय जांच की कार्यवाही प्रारम्भ की गई तथा अपीलार्थी को दिनांक 27.05.2024 को आरोप–पत्र जारी कर दिनांक 30.01.2025 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान कर सुना गया। सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने स्वयं के अस्वस्थ होने के कारण राज्य सेवा करने में असमर्थतता व्यक्त करते हुए अनुपस्थित रहना बताया। अतः अपीलार्थी को स्वैच्छिक अनुपस्थिति दिनांक 27.06.2023 से विभाग द्वारा अनिवार्य सेवानिवृति प्रदान की गई। किंतु अपीलार्थी के अनिवार्य सेवानिवृति संबंधी परिलाभ प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रदान नहीं किये जाने से अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अनिवार्य सेवानिवृति दिनांक 27.06.2023 से सेवानिवृति संबंधी समस्त पेंशन संबंधी समस्त पारिणामिक परिलाभ का भुगतान इस आदेश की प्राप्ति दिनांक से चार माह में किया जाना सुनिश्चित करें।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य